संख्या-252/2020/4113/41-2020-03(सा0)/2020

प्रेषक,

मुकेश कुमार मेश्राम,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक 03 नवम्बर, 2020**

विषय:-जनपद मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मन्दिर (कॉरीडोर) परिक्रमा मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-6967/6-1-1(1072)/2019-20 दिनांक 16 मार्च, 2020 एवं पत्र संख्या-2163/6-1-1(1072)/2019-20 दिनांक 31 अगस्त, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मन्दिर (कॉरीडोर) परिक्रमा मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रि-परिषद का अनुमोदन प्राप्त किये जाने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अवगत कराना है कि जनपद मीरजापुर स्थित आदि शक्ति माँ विन्ध्यवासिनी देवी मन्दिर एक अत्यन्त प्रसिद्ध श्रद्धा/आस्था का केन्द्र है। जहाँ प्रतिवर्ष प्रदेश के एवं अन्य राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शनार्थ आते है एवं विशेष रूप से नवरात्रि के अवसर पर यह संख्या और अधिक हो जाती है।

3- विन्ध्यधाम गंगा नदी के तट पर स्थित है जहाँ मा0 प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना अर्थ गंगा के अन्तर्गत जलक्रीडा एवं साहसिक पर्यटन की अपार सम्भावनाएं विद्यमान है, इसके साथ ही साथ विन्ध्याचल के समीप अनेक जलप्रपात भी अव्यस्थित है यथाः- विन्डमफाल, कुशेराफाल, टाडाफाल इत्यादि जहॉ पर ईको टूरिज्म की अत्यधिक सम्भावनाएं विद्यमान हैं।

4- उपरोक्त के क्रम में यदि विन्ध्यधाम में पर्यटन सुविधायें विकसित की जाती है तो यहाँ पर प्रत्येक श्रेणी के पर्यटकों का आवागमन बढ़ाये जाने के साथ-साथ उनके रात्रि प्रवास को भी बढ़ाया जा सकता है जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ-साथ निजी पूंजी निवेश में भी वृद्धि होगी।

5- विन्ध्याचल स्थित मुख्य मन्दिर माँ विन्ध्यवासिनी धाम के चारों तरफ परम्परागत तौर पर श्रद्धालुओं द्वारा परिक्रमा की जाती है परन्तु मन्दिर परिसर में परिक्रमा मार्ग सीमित एवं संकरा होने के कारण दुर्घटना की सम्भावना बनी रहती है। सम्भावित दुर्घटना को रोकने के लिये नवरात्रि के समय भारी संख्या में पुलिस बल तैनात करना पड़ता है।

6- काशी विश्वनाथ कॉरीडोर की भाँति जनपद मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मन्दिर कॉरीडोर का निर्माण चरणबद्ध तरीके से कराया जाना उचित होगा। प्रथम चरण में मुख्य मन्दिर के समीप परिक्रमा पथ आदि कार्यो से सम्बन्धित परियोजनायें लिया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- जनपद मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मन्दिर कॉरीडोर बनाये जाने हेतु विन्ध्यवासिनी मन्दिर के आस-पास चारों ओर 50 फीट चौड़ाई वाले परिक्रमा पथ के अन्दर आने वाली कुल 92 परिसम्पत्तियों एवं भूमि क्रय हेतु जिसका कुल क्षेत्रफल 2542.78 वर्ग मीटर, आवासीय भूमि/भवनों संख्या 25, व्यावसायिक भूमि/भवन की संख्या 67, कुल भवन/भूमि का मूल्यांकन (सर्किल दर का दोगुना) लगभग रू0 1941.44 लाख है जिसका प्रस्ताव जिलाधिकारी, मीरजापुर के पत्र दिनांक 21.02.2020 द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त पर आने वाला व्ययभार वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूँजी लेखा मद में मद संख्या-27 मिर्जापुर में विन्ध्यावासिनी देवी धाम में पर्यटन विकास हेतु रू0 10.00 करोड़ एवं मद संख्या-36 विन्ध्याचल का पर्यटन विकास अन्तर्गत रू0 10.00 करोड़ अर्थात कुल रू0 20.00 करोड़ का बजट प्राविधान है, से किया जायेगा।

8- जनपद मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मन्दिर कॉरीडोर बनाये जाने हेतु विन्ध्यवासिनी मन्दिर के आस-पास चारों ओर 50 फीट चौड़ाई वाले परिक्रमा पथ के अन्दर आने वाली कुल 92 परिसम्पत्तियों को क्रय किये जाने के फलस्वरूप पुनर्वास हेतु अतिरिक्त 0.253 हे0 भूमि की आवश्यकता होगी, जिसका सर्किल रेट के अनुसार मूल्यांकन का दो गुना रेट लगभग रू0 362.80 लाख है। उक्त धनराशि की व्यवस्था विभागीय बजट में पुनर्विनियोग के माध्यम से की जायेगी।

9- प्रथम चरण अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के क्रियान्वयन हेतु कार्यदायी संस्था का चयन परिसम्पत्तियों एवं भूमि के क्रय उपरान्त किया जाएगा।

10- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मन्दिर (कॉरीडोर) परिक्रमा मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में मा0 मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 30 अक्टूबर, 2020 में निम्नलिखित निर्णय लिये गये है:-

क- जनपद मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मन्दिर कॉरीडोर बनाये जाने हेतु विन्ध्यवासिनी मन्दिर के आस-पास चारों ओर 50 फीट चौड़ाई वाले परिक्रमा पथ के अन्दर आने वाली कुल 92 परिसम्पत्तियों एवं भूमि क्रय हेतु जिसका कुल क्षेत्रफल 2542.78 वर्ग मीटर, आवासीय भूमि/भवनों संख्या 25, व्यावसायिक भूमि/भवन की संख्या 67, कुल भवन/भूमि का मूल्यांकन (सर्किल दर का दोगुना) लगभग रू0 1941.44 लाख है। उक्त पर आने वाला व्ययभार वित्तीय वर्ष 2020-21 में पूँजी लेखा मद में मद संख्या-27 मिर्जापुर में विन्ध्यावासिनी देवी धाम में पर्यटन विकास हेतु रू0 10.00 करोड़ एवं मद संख्या-36 विन्ध्याचल का पर्यटन विकास अन्तर्गत रू0 10.00 करोड अर्थात कुल रू0 20.00 करोड़ का बजट प्राविधान है, से किया जायेगा।

ख- जनपद मीरजापुर में विन्ध्यवासिनी मन्दिर कॉरीडोर बनाये जाने हेतु विन्ध्यवासिनी मन्दिर के आस-पास चारों ओर 50 फीट चैड़ाई वाले परिक्रमा पथ के अन्दर आने वाली कुल 92 परिसम्पत्तियों को क्रय किये जाने के फलस्वरूप पुनर्वास हेतु अतिरिक्त 0.253 हे0 भूमि की आवश्यकता होगी, जिसका सर्किल रेट के अनुसार मूल्यांकन का दो गुना रेट लगभग रू0 362.80 लाख हैं। उक्त धनराशि की व्यवस्था विभागीय बजट में पुनर्विनियोग के माध्यम से की जायेगी।

ग- परिक्रमा पथ को विकसित करने तथा मन्दिर परिसर से जुडी चारों तरफ की सड़कों के चौड़ीकरण एवं विस्तारीकरण के कार्य हेतु बजट की व्यवस्था आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

घ- प्रश्नगत प्रायोजना के सम्बन्ध में अग्रतर आवश्यक निर्णय लिये जाने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है।

11- प्रश्नगत प्रायोजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जायेगा:-

"उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 सहित राजस्व विधि से सम्बन्धित विभिन्न अधिनियमों, विनिनियमों, नियमों, शासनादेशों तथा मा0 न्यायालय द्वारा पारित संगत निर्णयों का अतिक्रमण न हो।"

अतः कृपया तदनुसार प्रकरण में उपर्युक्त निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कर शासन को तत्काल सूचित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मुकेश कुमार मेश्राम)
प्रमुख सचिव।

संख्या-252/2020/4113(1)/41-2020-03(सा0)/2020 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मा0 मंत्री जी, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3- अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0।
5- **अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव**
न्याय विभाग/वित्त विभाग/लोक निर्माण विभाग/नगर विकास विभाग/राजस्व विभाग/आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
6- आयुक्त विंध्याचल मण्डल, मीरजापुर।
7- जिलाधिकारी, मीरजापुर।
8- संयुक्त निदेशक, पर्यटन, वाराणसी एवं विंध्याचल मण्डल, वाराणसी।
9- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in